न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
74/22	01.12.2022	17.06.2025

बउनवान

1. अमीलाल पुत्र स्व0 श्री जगराम उर्फ हीरालाल जाति अहीर निवासी गढी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। :— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0। अप्रार्थी

2. दाताराम
3. रामचन्द
4. शीशराम पुत्रान स्व0 श्री जगराम उर्फ हीरालाल जातियान अहीर निवासीयान गढी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख0 नं0 104/0.38 है0, 98/0.25 है0, 47/0.39 है0, 48/0.33 है0, 57/0.33 है0, 249/0. 01 है0, 250/0.17 है0, 251/0.18 है0, 256/0.19 है0, 257/0.18 है0, 738/0.51 है0, 739/0. 41 है0, 740/0.38 है0, 741/0.52 है0, 742/0.24 है0, 108/0.29 है0, 109/0.29 है0, 221/0.19 है0, 222/0.19 है0, 226/0.07 है0, 227/0. 14 है0, 228/0.14 है0, 231/0.08 है0, 233/0.22 है0, 234/0.22 है0, 238/0.08 है0, 239/0.11 है0, 240/0.11 है0, 244/0.18 है0, 245/0. 18 है0, 39/0.49 है0, 40/0.49 है0, 412/0.05 है0, 413/0.06 है0, 61/0.36 है0, 62/0.37 है0, 95/0.29 है0, 96/0.28 है0, 399/0.44 है0, 597/0.82 है0, 398/0.44 है0 वाके ग्राम गढी तहसील मुण्डावर व ख० नं0 53/0.25 हैक0, 70/1.34 हैक, वाके ग्राम तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

2. यह है कि उक्त आराजी मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को अपने मृतक पिता से विरासत में प्राप्त हुयी है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है, एवं समस्त ऋण भारो से मुक्त है, एंव प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं हिस्से बाबत कोई विवाद भी नहीं है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण अपने हिस्से नियमित व निरन्तर बेरोकटोक काबिज होकर काश्त कार्य कर रहे है।

3. यह है कि आराजी उपरोक्त में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता का नाम ग्राम गढी की आराजी में हीरालाल व ग्राम तिनकीरुडी की आराजी में जगराम नाम का अंकन हो रहा है। जबकि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है उपरोक्त नामो का कोई अलग व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता को गांव में हीरालाल व जगराम. दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता रहा है तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात में पिता का नाम जगराम ही दर्ज है। इसलिये मिन प्रार्थी जरिये शुद्वीपत्र के अपने राजस्व रिकोर्ड में पिता का नाम जगराम उर्फ हीरालाल दर्ज कराना चाहता है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

4. यह है कि प्रार्थी के परिवार में जगराम व हीरालाल नाम का कोई दीगर व्यक्ति नहीं है, और ना ही कभी पहले रहा है। जगराम को ही हीरालाल के नाम से जाना व पहचाना जाता रहा है, प्रार्थी के परिवार में जगराम व हीरालाल नाम के अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जिसे मिन प्रार्थी दुरुस्त कराने का अधिकारी है।

5. यह है कि प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में अपने पिता का नाम शुद्ध कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी किसी दीगर खातेदार का हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है। राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत अंकन को शुद्वीपत्र के जरिये शुद्ध कराने के लिये आवेदन पेश करना लाजिमी आया है।

6. यह है कि दिनांक 10/09/2022 को मिन प्रार्थी द्वारा अपने राजस्व रिकोर्ड की नकले प्राप्त करने पर उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी जिस पर मिन प्रार्थी ने असल अप्रार्थी से नाम दुरुस्त कराने के लिये निवेदन किया तो असल अप्रार्थी ने अदालत से आदेश लाने के लिये कहकर टाल दिया इसलिये प्रार्थना पत्र अविलम्ब ही श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

7.

8. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी सं01 निम्न प्रकार डिकी फरमाई जावेः–

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता का नाम उक्त आराजी हाल ख0 नं0 104/0.38 है0, 98/0.25 है0, 47/0.39 है0, 48/0.33 है0, 57/0.33 है0, 249/0. 01 है0, 250/0.17 है0, 251/0.18 है0, 256/0.19 है0, 257/0.18 है0, 738/0.51 है0, 739/0.41 है0, 740/0.38 है0, 741/0.52 है0, 742/0.24 है0, 108/0. 29 है0, 109/0.29 है0, 221/0.19 है0, 222/0.19 है0, 226/0.07 है0, 227/0.14 है0, 228/0.14 है0, 231/0.08 है0, 233/0.22 है0, 234/0. 22 है0, 238/0.08 है0, 239/0.11 है0, 240/0.11 है0, 244/0.18 है0, 245/0.18 है0, 39/0.49 है0, 40/0.49 है0, 412/0.05 है0, 413/0.06 है0, 61/0.36 है0, 62/0.37 है0, 95/0.29 है0, 96/0.28 है0, 399/0. 44 है0, 597/0.82 है0, 398/0.44 है0 वाके ग्राम गढी तहसील मुण्डावर में दर्ज राजस्व रिकोर्ड में जगराम उर्फ हीरालाल सही व वास्तविक नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्राथी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2072–75, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत गाधीनगर, मृत्यु प्रमाण पत्र जगराम, पहचान पत्र पेश किये है।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम अमीलाल पुत्र हीरालाल व अमीलाल पुत्र जगराम दर्ज है जबकी प्रार्थी के पिता का सही नाम जगराम उर्फ हीरालाल है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में जगराम दर्ज है। इसलिए विवादित आराजी में प्रार्थी के पिता का जगराम उर्फ हीरालाल अमल दरामद किया जावें।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि ख0 नं0 104/0.38 है0, 98/0.25 है0, 47/0.39 है0, 48/0.33 है0, 57/0.33 है0, 249/0. 01 है0, 250/0.17 है0, 251/0.18 है0, 256/0.19 है0, 257/0.18 है0, 738/0.51 है0, 739/0.41 है0, 740/0.38 है0, 741/0.52 है0, 742/0.24 है0, 108/0. 29 है0, 109/0.29 है0, 221/0.19 है0, 222/0.19 है0, 226/0.07 है0, 227/0.14 है0, 228/0.14 है0, 231/0.08 है0, 233/0.22 है0, 234/0.22 है0, 238/0.08 है0, 239/0.11 है0, 240/0.11 है0, 244/0.18 है0, 245/0.

उपखण्ड अधिकारी
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

18 है0, 39/0.49 है0, 40/0.49 है0, 412/0.05 है0, 413/0.06 है0, 61/0.36 है0, 62/0.37 है0, 95/0.29 है0, 96/0.28 है0, 399/0.44 है0, 597/0.82 है0, 398/0.44 है0 वाके ग्राम गढी तहसील मुण्डावर में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम हीरालाल को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर जगराम उर्फ हीरालाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

अधि० दिनांक 23/6/25 के अनुसार आराजी ख०नं० 399 के स्थान पर 597 लिख गया जिसके स्थान पर आ०ख०नं० 399 पढा जावे शेष आदेश यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अधि० दि० 3/7/25 के अनुसार प्रार्थी के स्थान पर प्रार्थी व अन्य प्रार्थी पढा जावे शेष आदेश यथावत रहेगा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner